निकाल ता० 12-3-2019
निगरानी प्र०क्र० 913 पी०बी०आर/03
जिला इन्दौर (160)

मानिविधि अभि. आर्थ
ओ.प्र. द्वारा 14-3-19
प्रक्र० 143

माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प, इंदौर

लक्ष्मीनारायण प्रतिस्थापन-0403/2019/इंदौर/पू.बर08 --- प्राथी

विरूद्ध

म०प्र० शासन व अन्य --- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन -पत्र :- अन्तर्गत आदेश 35 नियम 3 सम०प्र०भू०रा०संहिता।

प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त होने से द्विपदीय सुनवाई करने बाबद ।

इसमें प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :-

1- यह कि, प्रार्थी ने श्रीमान अपर आयुक्त महो० इंदौर संभाग के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी।

2- यह कि, उक्त प्रकरण दिनांक 12-3-2019 को नियत था तथा उक्त दिनांक को उभय पक्ष अभिभाषक माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए किंतु उक्तप्रकरण की फाइल उपलब्ध नहीं थी तथा जब उक्त प्रकरण की पुनः जानकारी इसी दिनांक को 4-00 बजे शाम मालूम की तो मालूम पड़ा कि उक्त प्रकरण दि० 12-3-19 को निरस्त हो गया । उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है।

3- यह कि, उक्त आवेदन प्रार्थी सदभावना पूर्वक अविलंब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सका ताकि उक्त निगरानी द्विपदीय सुनवाई पर ली जाकर आदेश दि० 12-3-19 को निरस्त किया जावें ।

अत: नम्र निवेदन है कि उक्त प्रार्थी का आवेदन न्याय में स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुन: द्वितीय सुनवाई पर लिये जाने की आज्ञा प्रदान होवें ।

इंदौर, दिनांक 13-3-2019

प्रस्तुतकर्ता,
[signature]
प्रार्थी तर्फे अभिभाषक

आपत्ति प्रस्तुत
13-3-19
आपत्ति नहीं
13-3-19

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ट

भाग–अ

(5)

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 6403/19/इन्दौर/भू.रा.

जरीमी मरवड़ी विरुद्ध शासन

तहसील .... जिला इन्दौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक..............

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. तहसील का प्रकरण क्रमांक..............

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला .... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.............. के विरुद्ध श्री .... के अभिभावक द्वारा अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन–पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि वाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है / .... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।	Noted for 15/4/19 13/3/19 15.4.19
15-4-2019 कैम्प	आवेदक अभिभाषक श्री ओ.पी. आर्य उपस्थित। अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री विजय इमासरे अधि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया। रेस्टो. आवेदन ग्राह्य किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. R-942-PBR/03 पुन: नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	(विजय इमासरे अना. क्र. 2) O.P. Arya

32